

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.वी. 21(12)पनिआयो/संघ ज्ञापन/


दिनांक:

कार्यालय आदेश

पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना हेतु जारी राज्यादेश दिनांक 30.07.2012 के बिन्दु संख्या-6.1 में 'दवा पर्ची पर पशुपालक के हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने की अनिवार्यता में, कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगामी आदेशों तक शिथिलता प्रदान की जाती है।'

दवा पर्ची पर पशुपालक का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर पूर्ववत आवश्यक रूप से दर्ज किया जावे।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी. 21(12)पनिआयो/संघ ज्ञापन/ 4735-478 दिनांक: 17-06-2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, पशुपालन, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. समस्त जिला संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक, कुचामनसिटी, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. अध्यक्ष, पशुचिकित्सक संघ, पशुधन भवन कैम्पस, गांधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान-3020115
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावें।


निदेशक